भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3254

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आवश्यक दवाओं की कमी

3254. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:
श्री जय प्रकाश:
श्री सनातन पांडेय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सोनीपत, हिसार और बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई कई आवश्यक दवाएं अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोनीपत, हिसार और बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और व्यय की गई निधि कितनी है, साथ ही इसके द्वारा सुधार की गई स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की कमी के मुख्य कारण क्या हैं, साथ ही सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने और दवा भंडार की डिजिटल निगरानी करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार अतिरिक्त बजट देकर, दवा भंडारण क्षमता में सुधार करके और आपूर्ति तंत्र में सुधार करके इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य और अस्पताल' राज्य के विषय हैं। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधनों के दायरे के भीतर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में नि:शुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए सहायता सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को प्रदान किए गए अनुमोदनों का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नानुसार यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) के अंतर्गत उपलब्ध है: https://www.nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को जारी केंद्रीय निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

में) (करोड़ रु

राज्य	**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	केंद्रीय निधि	व्यय	केंद्रीय निधि	व्यय	केंद्रीय निधि	व्यय
हरियाणा	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06	636.01	1,402.07
उत्तर प्रदेश	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16	5,686.12	11,069.32

टिप्पणी: जारी की गई राशि में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राशि शामिल है और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) और निर्धारित मानदंडों के अनुसार दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी डॉक्टरों को निदेश दिया गया है कि वे रोगियों के लिए बाहरी स्रोतों से दवाएं न लिखें।

जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आने वाले रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए सरकार ने एनएचएम के अंतर्गत निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों पर सुविधाकेंद्रवार आवश्यक दवाओं की सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) के तहत, भारत सरकार दवाओं की खरीद और पुख्ता-खरीद प्रणालियों, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट एवं शिकायत निवारण को सुदृढ़ करने और मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।
